

कार्यालय जिलाधिकारी शामली।

संख्या- **5461** / 265(1)-जि0आ0आ0 / व्यवस्थापन / शामली / 2018-20 / दिनांक **24-3-19**
ई-टेण्डर सम्बन्धी विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जनपद शामली में तृतीय चरण के पश्चात् अव्यवस्थित देशी शराब की 20, विदेशी मदिरा की 05 एवं बीयर की 02 फुटकर दुकानों तथा 02 मॉडल शाप्स का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या 101246-101321/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2019-20 दिनांक प्रयागराज मार्च 24, 2019 के द्वारा जारी निर्देशानुसार ऑन-लाइन ई-टेण्डर/ऑफर मांगकर किया जायेगा। ऑनलाइन ई-टेण्डर/ऑफर आमंत्रण हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित है :-

1-	Tender publishing date	26.03.2019 at 15:30
2-	Document download start date	26.03.2019 at 15:30
3-	Document download end date	01.04.2019 at 09:30
4-	Pre bid meeting date	27.03.2019 at 16:00
5-	Bid submission start date	26.03.2019 at 17:30
6-	Bid submission closing date	01.04.2019 at 09:30
7-	Technical bid opening date	01.04.2019 at 10:30
8-	Financial bid opening date	02.04.2019 at 14:00
9-	The place of bid opening	Collectrate, Sabhagar, Shamli
10-	Tender inviting officer	Collector, shamli

1. वर्ष 2019-20 हेतु मदिरा के दुकानों के चतुर्थ चरण का व्यवस्थापन ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अनुसार पुनः निर्धारित न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 / वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर ऑफर मांग कर किया जायेगा। देशी मदिरा की दुकानों का निर्धारित न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 एवं विदेशी मदिरा एवं बीयर तथा मॉडल शाप्स के निर्धारित न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस का विवरण निम्नवत् है :-

देशी शराब

क्र0 सं0	देशी शराब दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु पुनः निर्धारित एम0जी0क्यू0 (ब0ली0में)	वर्ष 2019-20 हेतु आगणित बेसिक लाइसेंस फीस (रु0 में)	वर्ष 2019-20 हेतु आगणित लाइसेंस फीस की धनराशि (रु0 में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि	वर्ष 2019-20 की निर्धारित धरोहर धनराशि (रु0 में)	हैसियत / निर्धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शामली नं0-1 (फव्वारा चौक)	नगर पालिका	68007	2040210	15097554	1509755	204021	2856294
2	शामली नं0-3 (धीमानपुरा रेलवे फाटक)	नगर पालिका	93347	2800410	20723034	2072303	280041	3920574
3	थानामवन नं0-1	नगर पंचायत	92973	2789190	20640006	2064001	278919	3904866
4	जलालाबाद	नगर पंचायत	58998	1769940	13097556	1309756	176994	2477916
5	करमूखेडी	ग्रामीण	33780	1013400	7499160	749916	101340	1418760
6	बाबरी	ग्रामीण	57451	1723530	12754122	1275412	172353	2412942
7	हसनपुर लुहारी	ग्रामीण	25784	773520	5724048	572405	77352	1082928
8	दुल्लाखेडी	ग्रामीण	11308	339240	2510376	251038	33924	474936
9	गढी अब्दुला	ग्रामीण	24090	722700	5347980	534798	72270	1011780
10	कादरगढ़	ग्रामीण	28319	849570	6286818	628682	84957	1189398

11	भाज्जू	ग्रामीण	24988	749640	5547336	554734	74964	1049496
12	अहमदगढ़	ग्रामीण	8503	255090	1887666	188767	25509	357126
13	कैराना	नगर पालिका	54647	1639410	12131634	1213163	163941	2295174
14	कांधला नं0 01 (निकट दिल्ली अड्डा)	नगर पालिका	108406	3252180	24066132	2406613	325218	4553052
15	झिंझाना नं0-1 (निकट ऊन बस अड्डा)	नगर पंचायत	20160	604800	4475520	447552	60480	846720
16	भूरा	ग्रामीण	3570	107100	792540	79254	10710	149940
17	शामली-शामला	ग्रामीण	9001	270030	1998222	199822	27003	378042
18	बिडौली	ग्रामीण	20958	628740	4652676	465268	62874	880236
19	मवी	ग्रामीण	4361	130830	968142	96814	13083	183162
20	खोडसमा	ग्रामीण	6535	196050	1450770	145077	19605	274470

विदेशी मदिरा

क्र० सं०	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु पुनः निर्धारित लाइसेन्स फीस (रु० में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (रु० में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (रु० में)	हैसियत प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1	थाना भवन	नगर पंचायत	1715000	171500	171500	1715000
2	कादरगढ़	ग्रामीण	590000	59000	59000	590000
3	अम्बेहटा	ग्रामीण	240000	24000	24000	240000
4	कांधला	नगर पालिका	1850000	185000	185000	1850000
5	गंगेरू	ग्रामीण	425000	42500	42500	425000

बीयर

क्र० सं०	बीयर दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु पुनः निर्धारित लाइसेन्स फीस (रु० में)	वर्ष 2019-20 हेतु प्रतिभूति धनराशि (रु० में)	वर्ष 2019-20 हेतु धरोहर धनराशि (रु० में)	हैसियत प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1	शामली नं02 (मिल रोड)	नगर पालिका	760000	76000	76000	760000
2	भारसी	ग्रामीण	55000	5500	5500	55000


मॉडल शाप्स


क्र० सं०	मॉडलशाप्स का नाम	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु पुनः निर्धारित लाइसेन्स फीस, जिस पर ऑफर दिया जाना है (रु० में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (रु० में)	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (रु० में)	हैसियत/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1	शामली नं0-1 (विजय चौक से वर्मा मार्केट तक)	नगर पालिका	4140000	220000	414000	4140000
2	शामली नं02 (निकट मातृप्रफरतार बस अड्डा)	नगर पालिका	4140000	220000	414000	4140000

2. मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन www.etender.up.nic.in पर ऑन लाइन ई-टेंडर/ऑफर के माध्यम से किया जायेगा।
3. व्यवस्थापन सम्बन्धित विस्तृत विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in एवं जनपद की वेबसाइट shamli.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
4. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा/बियर की दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार कराना होगा तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदक केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं है।
5. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर दुकान हेतु रु0 18000/- मॉडल शाप की दुकान हेतु 25000/-प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा। इस पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगा। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पर प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 अनिवार्य रूप से एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग)और सहायक लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश एक्साईज (DEC L AND AAO UPEXCISE PRAYAGRAJ) के पदनाम से पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड लखनऊ स्थित बचत खाता संख्या 4483000100050375 में जमा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड लखनऊ शाखा का आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0448300 है।
6. देशी मदिरा की दुकान हेतु सम्बन्धित दुकान के निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत तथा विदेशी मदिरा, बियर एवं मॉडल शाप्स की लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो कि जिला आबकारी अधिकारी, शामली के नाम बना हो, ही स्वीकार्य किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।
7. प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 के एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 से भुगतान की बैंक रसीद तथा पूर्व निर्धारित आवश्यक प्रपत्र यथा- सॉलवेंसी, आयकर वेल्यूवर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि प्रपत्र भी स्कैन कर ई-टेंडर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करना आवेदक के लिए अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी ई-टेंडर पोर्टल के फाइनैसियल बिड सेक्शन में अपलोड की जायेगी।
8. मदिरा की दुकानों हेतु प्राप्त आफर में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0/वार्षिक लाइसेंस फीस के ई-टेंडर/आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई-टेंडर/आफर प्राप्त होते हैं, तब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई-टेंडर/आफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।
9. देशी मदिरा की दुकान के संदर्भ में स्वीकृत टेंडर के एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा। इसी प्रकार विदेशी मदिरा/बियर की फुटकर दुकान के संदर्भ में स्वीकृत वार्षिक लाइसेंस फीस को रु0 5000/-के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा।
10. आवेदक, ऑनलाइन ऑफर प्रकाशन की तिथि तक 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
11. आवेदक के पक्ष में सम्बन्धित जनपद में यदि कोई दुकान पूर्व में आवंटित हुई हो, तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा।
12. किसी आवेदक के पक्ष में एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व माडलशाप) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।

13. कोई भी ऑनलाइन ऑफर वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर ही मान्य होगा। आवेदक को ऑन लाइन ऑफर भरने पर बिड एक्नॉलेजमेन्ट प्राप्त होगा। उक्त बिड एक्नॉलेजमेन्ट ही ऑनलाइन आवेदन किये जाने का प्रमाण होगा। उक्त प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर वह निविदा खुलते समय प्रवेश पा सकेगा।

अतः उपरोक्तानुसार दिए गये नियमों एवं शर्तों के अधीन इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ई-टेंडर प्रणाली/ऑफर दिए जाने के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 27.03.2019 को सायं 16:00 बजे कलेक्ट्रेट, परिसर, शामली में अयोजित प्री-बिड मिटिंग में उपस्थित हो सकता है।



जिला आबकारी अधिकारी,
शामली।


जिलाधिकारी,
शामली।

संख्या 5462-68 / तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित -

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए मदिरा दुकानों की ई-टेंडर व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, शामली।
3. नाजिर सदर, शामली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलेक्ट्रेट सभागार, शामली में आवश्यक प्रबन्ध कराने का कष्ट करें।
4. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" व "दैनिक जागरण" एवं "हिन्दुस्तान" तथा "शाह टाइम्स" जनपद शामली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण के अग्रिम अंक में कम से कम साइज में प्रकाशित कर बिल जिला सूचना अधिकारी, जनपद शामली से सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


जिला आबकारी अधिकारी,
शामली।